162 उच्चाधिकार प्राप्त वेतन–समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय उद्यमों के कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में सरकार ने 7 अप्रैल, 1986 को एक उच्च अधिकार प्राप्त वेतन–समिति नियुक्त की थी। माननीय न्यायाधीश श्री आर.बी. मिश्र की अध्यक्षता में समिति ने 24 नवंबर, 1988 को सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट दी। सरकार ने रिपोर्ट के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद रिपोर्ट के कार्यान्वयन की पद्धति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश मांगते हुए 17 अप्रैल, 1990 को सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने के लिए 3 मई, 1990 को अपना निर्णय दिया। निर्णय की एक प्रति अनुबंध–I में संलग्न है।

2. तीसरे/चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के महंगाई भत्ते का पैटर्न अपनाने वाले लोक उद्यमों को परामर्श दिया जाए कि वे निम्नलिखित पैराग्राफ में बताए गए अनुसार कार्रवाई करें। रिपोर्ट के पैराग्राफ का हवाला जहां भी लागू हो, दिया गया है, जिसे स्पष्टीकरण के लिए देखा जा सकता है। यदि इसके बावजूद इन्हें लागू करने के संबंध में शंका रहती है तो मामले को स्पष्टीकरण के लिए लोक उद्यम विभाग के पास भेजा जाए।

3. **सिफारिशों की प्रयोज्यता**

(i) **1.1.1986 को या इसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारीः** तीसरे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते का पैटर्न अपनाने वाले 1.1.1986 के बाद किंतु 31.12.88 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों में नियुक्त किया गया माना जाएगा।

(ii) **1.1.1986 के बाद पदोन्नत केन्द्रीय महंगाई भत्ते पर कार्यरत कर्मचारीः** जिन कर्मचारियों को 1.1.1986 के बाद पदोन्नत किया गया है किंतु जो अपनी पदोन्नति से पूर्व धारित पदों में संशोधन पूर्व वेतन पर केन्द्रीय महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे थे उनका वेतन नीचे अनुबंध VI में दर्शाए गए तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

(iii) **1.1.1989 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारीः** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में 1.1.1989 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों को औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न द्वारा शासित माना जाएगा। औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न पर उपयुक्त वेतनमान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए जाएंगे और इन्हें अनुमोदन के लिए लोक उद्यम विभाग को भेजा जाएगा। (सर्वोच्च न्यायालय का तारीख 3.6.90 का निर्णय अनुबंध–1)

(iv) **प्रारंभ में औद्योगिक महंगाई भत्ते पर नियुक्त किए गए कर्मचारी–** ऐसे सभी कर्मचारी, जो प्रारंभ में औद्योगिक महंगाई भत्ते पर नियुक्त किए गए थे, उन पर उनकी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें लागू होंगी। (सर्वोच्च न्यायालय का तारीख 3.6.90 का निर्णय अनुबंध–1)

(v) **1.1.1989 के बाद कार्यपालक संवर्ग पर पदोन्नत औद्योगिक महंगाई भत्ते वाले कर्मचारी –** संगठित कर्मचारी तथा संगठित/गैर संगठित पर्यवेक्षक जो 1.1.1989 को या इसके बाद कार्यकारी पदों में अपनी पदोन्नति पर औद्योगिक महंगाई भत्ते के ही हकदार होंगे और उनका वेतन औद्योगिक महंगाई भत्ते की स्कीम में संबंधित वेतनमानों में निर्धारित किया जाएगा।

(vi) **कर्मचारी जो जुलाई, 1984 के बाद से केन्द्रीय महंगाई भत्ते से औद्योगिक महंगाई भत्ते में आ गए –** भारतीय खाद्य निगम, हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि., नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि., आवास एवं शहरी विकास निगम लि., हिंदुस्तान केबल्स लि., हिंदुस्तान फोटो फिल्म लि. आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में कार्यरत ऐसे संगठित तथा गैर संगठित कर्मचारी जिन्होंने 1.1.1986 से पहले अथवा बाद में किंतु सर्वोच्च न्यायालय के 3.5.1990 के निर्णय से पूर्व औद्योगिक महंगाई भत्ते की स्कीम और संबंधित वेतनमानों में 1.8.1983 अथवा इसके बाद से

भूतलक्षी प्रभाव से आने की स्वेच्छा से सहमति दी थी, वे उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों के लाभों के हकदार नहीं होंगे। ऐसे मामलों में उन्हें उनकी मजदूरी/वेतन के निपटारे की समाप्ति की तारीख से सरकार द्वारा ऐसी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निहित मानदंडों के अनुसार संशोधित मजदूरी या वेतन मिलेगा।

(vii) **आईडीए स्कीम का विकल्प न लेने वाले कर्मचारीः** कर्मचारी जिन्होंने औद्योगिक महंगाई भत्ता स्कीम और संबंधित वेतनमानों के लिए विकल्प नहीं दिया, उन्हें इन आदेशों के अंतर्गत संशोधित वेतन का लाभ मिलेगा।

(viii) **कर्मचारी जो 1.1.1986 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों की सेवा में नहीं रहेः** ऐसे सभी कर्मचारी जो 1.1.1986 को सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों की वेतनपंजी में थे किंतु बाद में अधिवर्षिता, त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, नियोजन की समाप्ति, मृत्यु आदि के कारण सेवा में नहीं रहे, अपनी बाकी सेवा की अवधि तक इन आदेशों के तहत दिए जाने वाले लाभों के हकदार होंगे।

4. **अंतरिम राहत की अदायगीः**

(क) **पहली अंतरिम राहत राशि**	**प्रभावी तारीख**
अंतरिम राहत की अदायगी व्यय विभाग के का.ज्ञा. सं. 7(39) ई–III तारीख 2.8.1983 में बताई गई शैली में विनियोजित की जाएगी।(अनुबंध–II)	1.6.1983
(ख) **दूसरी अंतिम राहत राशि** इस अंतरिम राहत की अदायगी व्यय विभाग के का.ज्ञा. सं. 7(32) ई–III/85, तारीख 29.4.1985 में बताई गई शैली में विनियोजित की जाएगी।(अनुबंध–III)	1.3.1985

(पैरा 16.3 पृ. 185)

जहाँ कहीं लोक उद्यमों द्वारा अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत की अदायगी स्वप्रेरणा से अथवा सर्वोच्च न्यायालय/विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अंतर्गत की गई है, इस प्रकार अदा की गई राशि को मौजूदा प्राधिकार के अनुरूप समायोजित किया जाएगा। डी.टी.सी. का असंगठित स्टॉफ जिनके मामले में पहली अंतरिम राहत के बदले में 1.6.1983 से संशोधित वेतन ढाँचा अपना लिया गया है, इस अंतरिम राहत का हकदार नहीं होगा।

(पैरा 8.107 पृ. 131)

5. **वेतनमान**

(क) **संशोधित वेतनमान 1.1.1986 सेः** उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति द्वारा विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम संलग्न विवरण में दिए गए संशोधित वेतनमान 1.1.1986 से पूर्णतः अपनाएंगे (अनुबंध–IV) संशोधित वेतनमानों के लिए वेतनवृद्धि की दरें अनुबंध–V में दिए गए ब्यौरों के अनुसार होगी।

(पैरा 16.1 पृ. 184)

(ख) **चौथे वेतन आयोग के वेतनमान वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के मौजूदा वेतनमानों में आशोधनः**

(i) एम.टी.एन.एल., वी.एस.एन.एल. और एन ए ए जिनकी स्थापना 1.1.1986 के बाद की गई है, वे समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वेतनमान अपनाएंगे। समिति द्वारा सुझाए गए आशोधन एम टी एन एल और वी एस एन एल में 1.4.1986 से और एन ए ए में 1.6.1986 से अपनाए जाएंगे (अनुबंध–IV)

(पैरा 8.13 पृ. 64)

(ii) कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के अंतर्गत चौथे वेतन आयोग के वेतनमान तथा महंगाई भत्ते का पैटर्न अपनाने वाले नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लि. को समिति की सिफारिशों के अनुसार अपने वेतन ढाँचे में आशोधन करना चाहिए जिसके ब्यौरे अनुबंध–IV में दिए गए हैं।

(पैरा 8.34 पृ. 82)

(ग) **वैयक्ति वेतनमान देना:** जहां कहीं समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान अपनाने से उन कर्मचारियों को वित्तीय हानि होती है, जो तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग का पैटर्न अपना रहे थे तो उन्हें अनुबंध–IV में दर्शाए गए वैयक्तिक वेतनमान दिए जाएंगे। यदि पदोन्नति पर उच्चतर पदों में भी निर्धारित वेतनमान वैयक्तिक वेतनमानों से कम बैठते हैं तो पदोन्नति किए गए व्यक्तियों को उनके वैयक्तिक वेतनमानों में वेतन आहरित करते रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(पैरा 9.1 – 9.8 पृ. 140)

(घ) **बोर्ड स्तर से निचले पदों के लिए वेतनमानों का सृजन:** इन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों द्वारा उन वेतनमानों में कोई पद सृजित नहीं किए जाएंगे जो बोर्ड स्तर के पदों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित वेतनमानों के समरूप हों।

(पैरा 8.25 पृ. 77)

(ड.) **उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों में आशोधन:** किसी भी सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम को उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों में आशोधन करने का कोई प्राधिकार नहीं है। पदनाम ऐसे होने चाहिए कि वे पदों के कर्त्तव्य तथा जिम्मेदारियों को ठीक–ठीक प्रतिबिम्बित करें।

(पैरा 8.14 पृ. 64)

(च) **चिकित्सा अधिकारियों के लिए वेतनमान:** सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ते के पैटर्न पर चिकित्सा अधिकारियों के लिए पदनाम वार मौजूदा तथा संशोधित वेतनमान अनुबंध–IV के अंत में एक अलग विवरण में दर्शाए गए हैं।

(छ) **प्रैक्टिसबंदी भत्ता:** चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रैक्टिसबंदी भत्ता निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाएगा:

(पैरा 8.102 पृ. 129)

(ज) **स्नातकोत्तर भत्ता:** लोक उद्यम अपने उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर भत्ता बढ़ाकर 100/– रूपए कर सकते हैं जिनके पास मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा है तथा 2200–4000 रू. के वेतनमान में उन चिकित्सा अधिकारियों तथा 3000–4500 रू. के वेतनमान में उन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के लिए यह भत्ता बढ़ा कर 200/– रू. कर सकते हैं जिनके पास मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री है। यदि मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त होने के कारण 100/– रू. प्रतिमाह के स्नातकोत्तर भत्ते के हकदार चिकित्सा अधिकारी बाद में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें 100/– रू. की अतिरिक्त राशि भी दी जा सकती है। 3000–4500/– रू. के वेतनमान से 3700–5000/– रू. के वेतनमानों में पदोन्नति प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारी की स्नातकोत्तर भत्ता देय नहीं होगा। ऐसे मामलों में इनके वेतन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के का.ज्ञा. सं. ए/45012/1/87– सी.एच.एस.–V, तारीख 24 अगस्त, 1987 में विहित अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तारीख 16.10.1975 के का.ज्ञा. में निहित अन्य शर्तें भी इन पर लागू होंगी।

(पैरा 8.103 पृ. 130)

(झ) **गतिरोध वेतनवृद्धिः** वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने वाले कर्मचारियों को हर दो वर्ष की समाप्ति पर एक गतिरोध वेतनवृद्धि दी जा सकती है, किंतु वेतनवृद्धियां तीन से अधिक नहीं दी जाएगी। गतिरोध वेतनवृद्धि अंतिम आहरित वेतनवृद्धि की दर के बराबर होगी और इसे वैयक्तिक वेतन माना जाएगा। गतिरोध वेतनवृद्धि की यह स्कीम 5,900–6,700/– रू. तक के वेतनमान वाले सभी पदों पर लागू होगी। वेतन तथा गतिरोध वेतनवृद्धि का योग किसी भी हाल में 7,300/– रू. से अधिक नहीं होना चाहिए।

(पैरा 8.15 पृ. 65)

(ञ) **प्रवरण कोटिः** लोक उद्यमों द्वारा असंगठित कर्मचारियों को दी गई प्रवरण कोटि 1.1.86 से समाप्त हो जाएगी।

(पैरा 8.15 पृ. 65)

(ट) **उड़ान वेतनः** एन ए ए द्वारा सीधी भर्ती के तौर पर नियुक्त किए गए पायलट तथा सह पायलट को 1.1.1986 से 375/– रू. प्रतिमाह के स्थान पर 750/– रू. प्रतिमाह की दर से उड़ान वेतन की अदायगी की जाएगी, बशर्ते कि वे हर माह के अंत में उड़ान वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त करने जैसी अन्य औपचारिकताएं पूरी कर लें।

(पैरा 8.104 पृ. 130)

6. **संशोधित/वैयक्तिक वेतनमानों में वेतन निर्धारणः** कर्मचारियों का वेतन अनुबंध–VI में दर्शाए गए अनुसार संशोधित वेतन में निर्धारित किया जाएगा। दिल्ली परिवहन निगम के संगठित कर्मचारी, जिनके वेतन में 1.6.1983 से सीमित संशोधन किया गया था, वेतन निर्धारण का विनियमन अनुबंध–VII में बताए गए तरीके से किया जाएगा।

(पैरा 10.2 पृ. 141–142)

7. **वेतनवृद्धि की तारीखः** संशोधित वेतनमानों में वेतनवृद्धि दिए जाने की तारीखों का विनियमन अनुबंध– VIII में दिए गए तरीके से किया जाएगा।

(पैरा 10.3 पृ. 142)

8. **महंगाई भत्ताः** जिन कर्मचारियों पर उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतनमान लागू होते हैं उन्हें अनुबंध–IX में बताई गई महंगाई भत्ता स्कीम के अनुरूप महंगाई भत्ता देय होगा।

(पैरा 6.18 पृ. 50)

महंगाई भत्ते के संशोधित सूत्र के अंतर्गत 1.7.1986 और उसके बाद देय महंगाई भत्ते की वास्तविक प्रतिशतता अनुबंध–X में बताई गई है।

9. **अनुलब्धियांः** समिति ने इस ओर ध्यान दिया कि यद्यपि केन्द्रीय महंगाई भत्ता अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में द्विपक्षीय बातचीत की व्यवस्था नहीं है चूँकि उनका वेतन संशोधन सरकार द्वारा किए गए वेतन संशोधन का परिणाम था, फिर भी अनुलब्धियों के संबंध में बातचीत की गई थी। 32 सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में औद्योगिक महंगाई भत्ता अपनाने वाले तथा केन्द्रीय महंगाई भत्ता अपनाने वाले दोनों प्रकार के कर्मचारी हैं और इन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में अर्थात औद्योगिक महंगाई भत्ता अपनाने वाले कर्मचारियों से द्विपक्षीय बातचीत होती रही है। चूँकि अन्य भत्ते सभी कर्मचारियों को मिलते हैं, अतः यह भत्ते बातचीत का विषय थे। इन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों का उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति द्वारा विश्लेषण करने पर पाया गया था कि ये मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में आते हैं।

(i) ऐसे भत्ते जो लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में दिए जाते हैं इस श्रेणी में निम्नलिखित भत्ते आएंगेः

(क) प्रतिपूरक (नगर) भत्ता

(ख) मकान किराया भत्ता

(ग) चिकित्सा सुविधाएं

(घ) छुट्टी यात्रा रियायत

(ii) ऐसी अनुलब्धियां जो विशिष्ट कार्य से संबंधित परिस्थितियों या विशिष्ट कठिनाई वाले क्षेत्रों से संबंधित होती है, जैसे परियोजना भत्ता, खनन भत्ता अथवा खराब मौसम भत्ता।

(iii) अन्य भत्ते

(पैरा 111.6 पृ. 150)

उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति ने इन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में अनुपलब्धियों के संबंध में कुछ विशिष्ट सिफारिशें दी हैं। समिति में कुछ मामलों में अनुपलब्धियां बंद करने की व्यवस्था के साथ–साथ इनमें से कुछ अनुपलब्धियों को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है। कुछ अनुपलब्धियां अधिकतम सीमा वाले स्वरूप की हैं जिसकी वास्तविक राशि का निर्णय संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम के निदेशक मंडल पर छोड़ दिया गया है। यहां इसके नीचे दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करते समय संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के निदेशक मंडल को चाहिए कि यदि इन आदेशों में विशिष्ट रूप से किसी तारीख का उल्लेख न किया गया हो तो उस तारीख के संबंध में निर्णय लें जिससे किसी अनुलब्धि विशेष को शुरू/परिवर्तित/समाप्त किया जाएगा। संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम के निदेशक मंडल को अनुमत निर्णय लेने की सीमा के भीतर, इन आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेते समय उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति की निम्नलिखित टिप्पणी को ध्यान में रखना चाहिए।

''ऊपर उल्लिखित विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए हमने उपर्युक्त मद (1) के अंतर्गत आने वाले भत्तों के संबंध में और अन्य सभी मदों के संबंध में अलग–अलग दृष्टिकोण अपनाया है। चूँकि मद (1) के अंतर्गत आने वाले भत्ते सभी कर्मचारियों को दिए जाते हैं, अतः इन भत्तों के संबंध में हमारा यह मत है कि इन भत्तों से संबंधित हमारी सिफारिशें केन्द्रीय महंगाई भत्ता अपनाने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों पर समान रूप से लागू होगी। अन्य सभी भत्तों के संबंध में, हमारी सिफारिशों को भत्ते दिए जाने की स्थिति में मात्र इसके निर्धारण की दरों तथा इनके दिए जाने की शर्तों के तौर पर माना जाना चाहिए। इस प्रश्न के संबंध में कि कोई भत्ता विशेष किसी सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम विशेष में दिया जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय पूर्णतः उस उपक्रम विशेष पर छोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में वेतनमानों तथा भत्तों के संबंध में बी.पी. ई. ने हमें जिस दृष्टिकोण का सुझाव दिया है वह हमने केवल भत्तों के संबंध में अपनाया है यथा इन सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति वेतनमानों तथा भत्तों के पैकेजों के अनेक सुझाव दे सकती है जिनमें से सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम अपने आकार, प्रचालनों की आधुनिकता, उत्तराधिकार संबंधी आवश्यकताओं तथा अदायगी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त वेतन एवं भत्तों के पैकेज चुन सकते हैं।''

(पैरा 111.7 पृ. 150)

सरकारी क्षेत्र के उद्यम रिपोर्ट के पैरा 16.4 3 में दी गई सिफारिश को भी ध्यान में रखेंगे। पैरा 16.4 नीचे दिया गया है।

''16.4 हमने संबद्ध अध्यायों में यह सिफारिश की है कि मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की संशोधित दरें किसी भावी तारीख से लागू की जाएं। हमारी रिपोर्ट में सिफारिश किए गए शेष लाभों के संबंध में हमने यह सिफारिश की थी कि सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम अपनी वित्तीय स्थिति सहित सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये सिफारिशें लागू करने के अपने विशिष्ट निर्णय ले सकते हैं।''

उपर्युक्त पैरा से सभी अनुपलब्धियों से संबंधित उप–पैराग्राफों में निहित अनुदेशों का विनियमन किया जाएगा।

9.1 सामान्य अनुपलब्धियां

9.1.1 नगर प्रतिकर भत्ताः 1.1.1989 से नगर प्रतिकर भत्ते की अदायगी नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट दरों पर की जाएगी।

वेतन सीमा (मूल वेतन)	श्रेणीवार शहरों में नगर प्रतिकर भत्ते की राशि (रू. प्रतिमाह)		
	क	ख1	ख2
950/– रू. से कम	30	25	20

950/–रू.–1499/–रू.	45	35	20
1500–1999 रू.	75	50	20
2000/– रू. से अधिक	100	75	20

(पैरा 11.6 पृ. 152)

1.1.1986 से 31.12.1988 तक ये सार्वजनिक उद्यम अपने इन कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते की अदायगी करेंगे जिन पर इस रिपोर्ट की सिफारिश संशोधन पूर्व वेतनमानों में परिकल्पित वेतन पर मौजूदा दरों पर लागू होती हैं। मौजूदा दरें बी पी ई के का. ज्ञा. तारीख 5.4.1988 में दी गई हैं।

(पैरा 11.7 पृ. 153 और सर्वोच्च न्यायालय निर्णय तारीख 3.5.1990)

9.1.2 **मकान किराया भत्ता**

(i) केन्द्रीय महंगाई भत्ते का पैटर्न अपनाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा मकान किराया भत्ते की अदायगी निम्नलिखित दरों पर की जाएगीः–

दिल्ली, मुंबई	मूल वेतन का 30 प्रतिशत
क श्रेणी के अन्य शहर	मूल वेतन का 25 प्रतिशत
ख 1 और ख 2 श्रेणी के शहर	मूल वेतन का 15 प्रतिशत
''ग'' श्रेणी तथा गैर श्रेणीकृत शहर	मूल वेतन का 10 प्रतिशत

(ii) 1.1.1986 और 30.11.1988 के बीच उद्यमों द्वारा मकान किराया भत्ता संशोधन पूर्व वेतनमान में परिकल्पित वेतन पर परिकलित किया जाएगा। 1.12.1988 से ये उद्यम संशोधन वेतनमानों पर ऊपरं अधिसूचित दरों पर किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना ही मकान किराए भत्ते की अदायगी कर सकते हैं किंतु यह अदायगी दिल्ली, मुंबई, क, ख1 और ख2 श्रेणियों तथा ''ग'' श्रेणी के शहरों और अन्य गैर श्रेणीकृत शहरों के लिए क्रमशः 1250/–रू., 1000/–रू., 680/–रू., 340/–रू. और 310/–रू. से अधिक नहीं होगी।

(पैरा 11.15 पृ. 154 और सर्वोच्च न्यायालय का तारीख 3.5.1990 का निर्णय)।

(iii) किराए की रसीद प्रस्तुत करने के आधार पर अथवा स्वयं अपने कब्जे वाले मकानों की नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किराया मूल्य के आधार पर जो कर्मचारी मकान किराए भत्ते का दावा करते रहे हैं, वे 1.12.1988 से संशोधित मूल वेतन पर मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे बशर्ते कि वे अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराए पर खर्च करते हों।

(iv) इन आदेशों को क्रियान्वित करते समय रिपोर्ट के पैरा 116 पृ. 154 में उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति की निम्नलिखित सिफारिशें ध्यान में रखी जाएं।

"बी पी ई द्वारा निर्धारित मौजूदा दरें अधिकतम सीमा के रूप में हैं। तथापि हमने देखा है कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम निम्नतर दरों पर मकान किराया भत्ते की मंजूरी दे रहे हैं। संभवतः यह उस प्रक्रिया का परिणाम है

जिस पर हमने अनुपलब्धियों की भूमिका में चर्चा की है। अब हमारा आशय यह नहीं है कि ऐसी दरें बढ़ा दी जानी चाहिए। बी पी ई द्वारा दिए गए दिशानिर्देश मात्र निर्धारित सीमाएं हैं और ये अनिवार्य दरें नहीं हैं।"

(v) उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार बी पी ई के आदेश सं. 1(3)/82 – बी पी ई (डब्ल्यू.सी.) तारीख 1.7.1983, की समीक्षा, जिसे पूरा कर लिया गया है और संशोधित आदेश जारी किए जा रहे हैं, के बाद उपरोक्त सीमाएं बढ़ा दी जाएंगी।

(पैरा 11.15 पृ. 154 और सर्वोच्च न्यायालय का तारीख 3.5.1990 का निर्णय)

(vi) **पट्टे पर आवासः** समय–समय पर यथासंशोधित बी पी ई के 1(3)/82– बी पी ई, तारीख 25.7.1983 और का. ज्ञा. सं. 2 (50)/87 बीपीई (डब्ल्यू सी), तारीख 1.4.1987 में निहित प्रमुख अधिकारियों के संबंध में पट्टे पर आवास के लिए किराए की अधिकतम सीमा का इन सार्वजनिक उद्यमों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(पैरा 11.17 पृ. 154)

(vii) **किराया वसूलीः** सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा टाऊनशिप आवास के लिए अथवा पट्टे पर आवास के लिए की गई व्यवस्था के लिए किराए की वसूली मूल वेतन के 10 प्रतिशत अथवा मानक किराए की दर से की जाएगी। तथापि सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम टाऊनशिप में उपलब्ध हर प्रकार के आवास के लिए निश्चित दर का प्रावधान कर सकते हैं और समान आधार पर किराए की वसूली की दरें निर्धारित कर सकते हैं। तथापि पट्टे पर आवास के संबंध में किराए की वसूली मौजूदा दरों पर अर्थात् मूल वेतन के 10 प्रतिशत तक जारी रहेगी।

(पैरा 11.19 पृ. 155)

9.1.3 **चिकित्सा सुविधाएं** लोक उद्यमों को नीचे दिए गए पैरामीटरों के अनुरूप अपने चिकित्सा नियमों में आशोधन करने चाहिएः–

(i) केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा) नियमावली अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों को अंतरंग और बहिरंग, दोनों के लिए समान नियम, जहां कहीं लागू हो, अपनाने चाहिए। जिन सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों ने अपने नियम बना लिए हैं, वे उसे अपना सकते हैं परंतु उन्हें उनमें यहां नीचे बताए गए आशोधन करने होंगेः

(ii) बहिरंग उपचार के लिए ऐसे सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम जिनके अपने अस्पताल/डिस्पेंसरियाँ नहीं हैं अधिकतम 2400/– रू. अथवा एक माह के मूल वेतन के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, तक के चिकित्सा व्यय की वार्षिक प्रतिपूर्ति कर सकते हैं किंतु यह राशि 1000/– रू. से कम नहीं होगी। तथापि कैंसर, टीबी जैसे रोगों के मामले में जिनके विशेष बहिरंग उपचार की सलाह दी जाती है, मुख्य कार्यकारी/उनके प्राधिकृत अधिकारियों को विशेष मामले के तौर पर इन सीमाओं से अधिक प्रतिपूर्ति करने की शक्ति प्राप्त होगी। यह अधिकतम सीमा सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों पर लागू होगी चाहे वे कोई भी चिकित्सा नियम अपनाते हों।

(iii) कुछ सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के अंतरंग तथा बहिरंग उपचार के लिए एक निर्धारित एकमुश्त मासिक भत्ता देने की व्यवस्था है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

(iv) अंतरंग उपचार/अस्पताल में भर्ती होने पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए बशर्ते कि उपचार किसी (क) सरकारी अस्पताल (ख) सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल (ग) "न लाभ न हानि" के आधार पर स्थापित अस्पताल अथवा (घ) इस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा विशिष्टत रूप से अनुंमोदित चुनिंदा अस्पतालों में से किसी अस्पताल में करवाया गया हो। तथापि (घ) के संबंध में ऐसे अस्पतालों को अनुमोदित करते समय सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों को अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अस्पतालों द्वारा उद्यमों के कर्मचारियों से प्रभारित की जाने वाली दरों को भी अंतिम रूप देना चाहिए। तथापि, खाने–पीने के खर्च की प्रतिपूर्ति केवल पात्र कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा) नियमानुसार ही की जाएगी।

(v) अपने अस्पतालों/डिस्पेंसरियों वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में ऐसे कर्मचारियों को केवल इन्हीं अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में ही अंतरंग अथवा बहिरंग रोगी के रूप में उपचार करवाना चाहिए और उन्हें कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जानी चाहिए। इन अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में अंतरंग और बहिरंग उपचार की पर्याप्त सुविधाएं न मिलने पर इन सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के विशेषज्ञ/डाक्टर इन मामलों को अन्य अनुमोदित अस्पतालों में भेज सकते हैं और ऐसे मामलों में केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा) नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

(vi) जहां कहीं सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के अपने अस्पताल/डिस्पेंसरियां हैं, वे इन अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में अपने अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों व उनके परिवारों को भी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।

(vii) अपने कर्मचारियों के विदेशों में उपचार की अनुमति केवल समय–समय पर जारी किए गए केन्द्रीय सरकारी आदेशानुसार ही दी जाएगी।

(viii) चिकित्सा प्रयोजन के लिए परिवार में कर्मचारी के पति/पत्नी के अलावा आश्रित माता–पिता, अविवाहित बहनें, आश्रित विधवा बहनें, आश्रित विधवा बेटियां, अवयस्क भाई तथा संतान शामिल होगी बशर्ते कि वे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों व उसी के साथ रहते हों और इसके लिए यह शर्त भी लागू होगी कि हर स्रोत से प्राप्त उनकी आय का जोड़ 500/– रू. प्रतिमाह से अधिक नहीं है।

(ix) प्रतिपूर्ति के दावे स्वीकार करते समय सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों को चाहिए कि वे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशानुसार अस्वीकार्य दवाओं, टॉनिक, प्रसाधन एवं दवाओं की अनुमति किसी भी हाल में न दें।

(पैरा 11.21 पृ. 150)

9.1.4 छुट्टी यात्रा रियायतः छुट्टी यात्रा रियायत की मौजूदा स्कीम की समीक्षा की जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध छुट्टी यात्रा रियायत स्कीम में कोई परिवर्तन किए बिना इसे सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। मौजूदा स्कीम में दो वर्ष के ब्लॉक में एक बार गृहनगर की यात्रा और चार वर्षों के एक ब्लॉक में गृहनगर की यात्रा हेतु उपलब्ध दो रियायतों में से एक रियायत के बदले भारत में किसी भी स्थान की यात्रा का प्रावधान है।

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंध के 4500/–रू.–5700/–रू. या इससे अधिक वेतनमान वाले अपने कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने वाले अपने कर्मचारियों को उनके परिवारों के साथ हवाई यात्रा की अनुमति देने पर विचार कर सकते हैं।

(ख) गृह नगर तथा भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का नकदीकरण, जहां कहीं भी वर्तमान समय में मौजूद हो, समाप्त किया जाना चाहिए।

(पैरा 11.22 – 11.25 पृ. 157–158)

9.2 विशिष्ट अनुलब्धियांः अनुबंध–XI में दी गई विशिष्ट अनुपलब्धियों जैसे फील्ड भत्ता, ड्रिलिंग भत्ता/खनन भत्ता, विशेष प्रतिपूरक भत्ता आदि अनुबंध में दी गई दरों पर सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा दिए जा सकते हैं बशर्ते कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी प्रकार के भत्ते की अदायगी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी की जाएं।

केन्द्रीय महंगाई भत्ता अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के प्रबंधक इन भत्तों की दरों में तब तक कोई आशोधन नहीं कर सकते जब तक केन्द्र सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सरकार द्वारा इन दरों में कोई परिवर्तन अधिसूचित न किए जाएं।

(पैरा 12.1 से 12.23 पृ. 159–166)

9.3 अन्य अनुलब्धियां

9.3.1 वाहन भत्ताः केन्द्रीय महंगाई भत्ता अपनाने वाले लोक उद्यमों के प्रबंधक अपने उन कार्यकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को वाहन भत्ते की अदायगी के लिए निर्णय ले सकते हैं जिनके अपने वाहन जैसे कार, स्कूटर और मोपेड हैं और वे कार्यालय के प्रयोजन के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं।

वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति बंद कर दी जानी चाहिए और इसकी जगह निम्नलिखित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए वाहन भत्ते की अदायगी की जानी चाहिएः–

क्र.सं.	पद्धति	वेतन	'क' श्रेणी के शहर प्रतिमाह	'क' श्रेणी को छोड़कर अन्य शहर प्रतिमाह
1.	कार का रखरखाव	वेतन 3000–4500 और अधिक	450 रू.	400 रू.
2.	स्कूटर का रखरखाव	(i) 3000 और अधिक (ii) 1600–2999 रू. के बीच	175 रू. 150 रू.	175 रू. 125 रू.
3.	मोपेड का रखरखाव	1400 रू. और इससे अधिक	125 रू.	100 रू.
4.	यातायात रियायत	(i) 1400 रू. से कम (ii) कोई वाहन नहीं	40 रू.	40 रू.

वर्तमान समय में ऊपर निर्दिष्ट अधिकतम राशि से अधिक भत्ता आहरित करने वाले कर्मचारियों को अगले ग्रेड में पदोन्नति होने तक मौजूदा वाहन भत्ता वैयक्तिक भत्ते के रूप में आहरित करने की अनुमति दी जा सकती है। जिन सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में वाहन भत्ता स्कीम मौजूद नहीं है, इस संबंध में निर्णय संबद्ध उद्यम में निदेशक मंडल द्वारा लिया जाएगा कि वाहन भत्ता स्कीम लागू की जाए अथवा नहीं। वे ऊपर दी गई तालिका में निर्दिष्ट अधिकतम राशि तक वास्तविक वाहन भत्ते की दर निर्धारित कर सकते हैं।

अपने कर्मचारियों को वाहन भत्ते की अदायगी करने का निर्णय लेने वाले उद्यमों को वाहन भत्ते की मंजूरी देते समय अनुबंध–XII में निर्दिष्ट पैरामीटर अपनाने चाहिए।

(पैरा 13.5–13.8 पृ. 167–168)

9.3.2 **सेवा के दौरान छुट्टी का नकदीकरणः** केन्द्रीय महंगाई भत्ते का पेटर्न अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के प्रबंधकों को सेवा के दौरान अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अपनी मौजूदा स्कीम में अनुबंध– XIII में बनाए गए पैरामीटरों के आधार पर आशोधन करने चाहिएं। जहां कहीं भी ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, इस संबंध में निर्णय उनके निदेशक मंडल द्वारा लिया जाएगा कि यह सुविधा वहां के कर्मचारियों को दी जानी है अथवा नहीं। यह सुविधा भविष्य के आधार पर दी जाएगी और यह अनुबंध– XIII में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

(पैरा 13.9 – 13.10 पृ. 169)

9.3.3 त्यागपत्र पर छुट्टी नकदीकरणः सेवा से त्यागपत्र देने या सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों को उसकी सेवा समाप्ति की तारीख को उसके खाते में दर्ज नकदीकरण न की जा सकने वाली अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के 50 प्रतिशत के बराबर राशि दी जाए। यह राशि बी. पी. ई. कार्यालय ज्ञापन 2(27)/85–बी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.) तारीख 24.4.87 के अनुसार अधिकतम 60 दिन तक ही सीमित होगी।

(पैरा 13.10 (i-vii) पृ. 170)

9.3.4 अर्ध वेतन छुट्टी: सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम के किसी कर्मचारी के खात में जमा अर्ध वेतन/चिकित्सा अवकाश के नकदीकरण की सुविधा समाप्त की जानी चाहिए।

9.3.5 कैंटीन रियायत: औद्योगिक इकाई की कैंटीन सुविधा से संबंधित मौजूदा व्यवस्था तथा रियायती भोजन (लंच) की व्यवस्था आदि की स्कीम जहां कहीं भी मौजूद हो, की सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। इस सुविधा को निम्नलिखित ढंग से युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

(i) जहां तक कैंटीन विभिन्न अधिनियमनों के अंतर्गत सांविधिक बाध्यता के रूप में चलाई जा रही है, जहां मौजूदा व्यवस्था जारी रखी जा सकती है।

(ii) जिन सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में विभिन्न रियायती व्यवस्थाएं हैं जैसे कैंटीन रियायत, अपराह्न भोजन रियायत आदि, वहां मौजूदा व्यवस्था जारी रखी जा सकती है।

(iii) खाने की चीजों, पेय पदार्थों, नाश्ते आदि की कीमतों की नियमित समीक्षा करते रहना चाहिए ताकि इन सबकी कीमत में वृद्धि को हिसाब में लिया जा सके।

(iv) कुछ सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में कर्मचारियों को दिया जाने वाला नकद भत्ता बंद कर दिया जाना चाहिए। तथापि प्रबंधकों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के प्रयास करने चाहिए और ऊपर बताए गए निर्देशानुसार कम से कम चाय, पेय पदार्थ, नाश्ते आदि की न्यूनतम सुविधा मुहैया करवानी चाहिए।

(v) जिन सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में ऐतिहासिक कारणों से, चाय, काफी आदि की मुफ्त व्यवस्था आज भी जारी है, वहां के प्रबंधकों को इस व्यवस्था की समीक्षा करके विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में अंतिम निर्णय लेना चाहिए कि यह व्यवस्था जारी रखी जाए अथवा नहीं।

(पैरा 13.11–13.16 पृ. 170)

9.3.6 अतिथि सत्कार व्यय: सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों को अतिथि सत्कार व्यय के संबंध में बी.पी.ई. द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। अतिथि सत्कार भत्ते का दिया जाना भी बी.पी.ई. के तारीख 9.4.84, 31.7.85 और 3.9.1985 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3(15)/79–बी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.) के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।

(पैरा 13.17 पृ. 170)

9.3.7 संतान शिक्षा सहायता: (क) जहां कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा संतान की शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा ये सुविधाएं केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निहित शर्तों के अधीन भी दी जानी चाहिए। तथापि प्रतिपूर्ति केवल वास्तव में व्यय की गई राशि तक ही सीमित रहनी चाहिए। नीचे दी गई अधिकतम राशि की सीमा का अनुपालन किया जाना चाहिए।

(I) शिक्षा शुल्क की वापसी

(क)	दसवीं कक्षा तथा इससे निचली कक्षाओं के लिए	20/–रू. प्रतिमाह प्रति संतान
(ख)	ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा	25/–रू. प्रतिमाह प्रति संतान
(ग)	शारीरिक रूप से विकलांग तथा मंदबुद्धि संतान के लिए	बारहवीं कक्षा तक 50/– रू. प्रति माह प्रति संतान
II	संतान शिक्षा भत्ता	प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए

		50/– रू. प्रतिमाह प्रति संतान
III	छात्रावास आर्थिक सहायता	150/– रू. प्रतिमाह प्रति संतान

(ख) पुस्तकों की खरीद पर आर्थिक सहायता बंद कर दी जानी चाहिए।

(ग) कुछ सार्वजनिक उद्यमों में मौजूदा योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के संबंध में निदेशक मंडल ऐसी छात्रवृत्तियों को जारी रखने अथवा न रखने की आवश्यकता पर विचार कर सकता है।

(घ) उपर्युक्त सुविधाएं सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को दी जा सकती है, इसके लिए कोई वेतन सीमा नहीं है किंतु यह सुविधा केवल दो संतानों के लिए ही दी जाएगी।

(ड.) उपर्युक्त शिक्षा सुविधाएं देने की शर्तें वही होंगी जो केन्द्र सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(पैरा 13.18 – 13.24 पृ. 170–172)

9.3.8 वर्दी तथा वर्दी भत्ताः

(क) सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम अपने औद्योगिक कामगारों को छोड़कर अन्य श्रेणी कर्मचारियों को क्रमशः गर्मियों और शीतकाल के लिए प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में ग्रीष्मकालीन वर्दी के 2 जोड़े और 2 वर्षों में एक बार सर्दियों की वर्दी का एक जोड़ा देने पर विचार करेंगे। वर्दी कार्य के स्वरूप के अनुसार होनी चाहिए। वर्दी केवल लोगों द्वारा पहचान के लिए ही नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में वर्दी देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के प्रबंधक केन्द्रीय महंगाई भत्ते पर काम कर रहे औद्योगिक कामगारों के कार्य के स्वरूप, कार्य की दशाओं आदि को ध्यान में रखते हुए वर्दी के जोड़ों की संख्या और वर्दी कितने समय बाद दी जाए इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। तथापि, जिन कार्यों में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत संरक्षणात्मक कपड़े पहनना अनिवार्य हो, वहां पर इस विनियमों के उपबंधों के अनुरूप ही वर्दी मुहैया कराई जानी चाहिए।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में नर्सिंग स्टॉफ/परा चिकित्सा स्टॉफ को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की इन्हीं श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंडों से अधिक दरों पर वर्दी भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। यदि ये सुविधाएं सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में मौजूद न हो, तो बोर्ड के अनुमोदन से इन्हें शुरू किया जा सकता है। केन्द्र सरकार में नर्सिंग स्टॉफ के लिए वर्दी भत्ता 1.10.1986 से 300/– रू. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1500/– रू. प्रति वर्ष कर दिया गया है। सरकार ने सभी स्तरों के नर्सिंग कार्मिकों को 1.10.1986 से 150/– रू. प्रतिमाह की दर से नर्सिंग भत्ते की भी मंजूरी दी है।

(पैरा 13.25 – 13.26 पृ. 172)

9.3.9 धुलाई भत्ताः जहां कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्दी दे रहे हैं, वहां इन कर्मचारियों के लिए नीचे दिए गए अनुसार धुलाई भत्ता दिया जाएगाः–

कर्मचारियों की श्रेणी	**प्रतिमाह धुलाई भत्ते की दर**
(i) कामगार, सहायक नर्सें, दाइयां तथा महिला स्वास्थ्य निरीक्षक	20/–रू.
(ii) सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में कार्यरत सभी स्तरों पर सभी श्रेणियों का नर्सिंग स्टॉफ	75/– रू.

(पैरा 13.27 पृ. 172)

9.3.10 कार्य घंटे/सेवा की शर्तें: विनिर्माण से जुड़े अथवा कामगारों की परिभाषा में आने वाले कर्मचारियों अथवा जिन कर्मचारियों पर कारखाना अधिनियम लागू होता है उनके संबंध में कार्य घंटों की संख्या के बारे में निर्णय अलग–अलग सार्वजनिक उद्यमों द्वारा विधिक उपबंधों को देखते हुए लिया जाएगा। तथापि विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में संशोधित वेतनमानों को लागू करने तथा विभिन्न भत्तों तथा अनुलब्धियों में उपर्युक्त पैराग्राफों में बताए गए अनुसार सुधारों के परिणामस्वरूप प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक उद्यम में कार्य घंटे 40 घंटे प्रति सप्ताह से कम न हों।

(पैरा 14.2 पृ. 174)

9.3.11 आश्रितों को रोजगार: जहां कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम में अपने कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने की प्रथा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां कहीं संभव हो रोजगार केवल उन्हीं कर्मचारियों के आश्रितों को दिया जाए जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है या वे अशक्तता के कारण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सामान्यतः सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए।

(पैरा 13.28 पृ. 173)

9.3.12 पारी भत्ता: सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम द्वारा दिया गया पारी ड्यूटी भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाए जिन्हें रात की पारियों के दौरान काम करना पड़ता है।

(पैरा 13.29 पृ. 173)

9.3.13 समय पाबंदी भत्ता/उपस्थिति बोनस: यदि सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा कर्मचारियों को उपस्थिति में समय की पाबंदी का अनुपालन करने के लिए समय पाबंदी भत्ता/उपस्थिति बोनस की अदायगी की कोई प्रथा है तो इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

(पैरा 13.30 पृ. 173)

9.3.14 विविध मदें: कुछ सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा दिए जा रहे ऐसे किन्हीं भत्तों/अनुलब्धियों की जो उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति की रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं, प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के प्रबंधकों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनके लाभ केन्द्र सरकार कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुरूप हैं।

(पैरा 13.31 पृ. 173)

10. उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीमें

10.1 केन्द्रीय महंगाई भत्ते का पैटर्न अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा जहां कहीं भी मौजूदा प्रोत्साहन स्कीमें लागू की गई हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या उन्होंने और अधिक उत्पादकता के लिए पर्याप्त प्रेरणा दी है। इन स्कीमों को सफल तथा विफल बनाने वाले कारकों की पहचान की जानी चाहिए ताकि इनमें सुधार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित लक्ष्यों तथा वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर कम किया जा सके कि निर्धारित लक्ष्यों तथा वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर कम किया जा सके। किसी एक अकेले कारक के चुने जाने पर, जैसा आजकल कुछ सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में किया जा रहा है, पुनः विचार करने की आवश्यकता है। उत्पादकता के घटक अधिकतम 2 या 3 होने चाहिए। उत्पादन का आधार स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके बाद प्रोत्साहन प्रभावी होते हैं। डी.टी.सी., एम.टी. एन.एल., मॉडर्न फूड (इ) लि., एन.टी.सी., (ए.पी.के.के.एम.), एन.टी.सी. (गुजरात) द्वारा इस समय चलाई जा रही स्कीमों की समीक्षा की जानी चाहिए।

10.2 जिन उद्यमों में कोई प्रोत्साहन स्कीम नहीं है, वे उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति की रिपोर्ट के पृ. 182–183 पर पैरा 15.16 में दिए गए पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्कीम चालू कर सकते हैं। उत्पादकता स्कीम से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम चालू करते समय बी.पी.ई. के तारीख 3.3.1984 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(2) 80 – बी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.) के उपबंध ध्यान में रखे जाने चाहिएं।

(पैरा 15.10–15.16 पृ. 180–183)

11. **अगला वेतन संशोधनः** जिन कर्मचारियों के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशें सर्वोच्च न्यायालय के तारीख 3.5.1990 के आदेशों के तहत कार्यान्वित की जा रही हैं, उन्हें वेतन संशोधन लाभ तभी और केवल उसी ढंग से मिलेगा जब ऐसे परिवर्तन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किए जाएंगे।

(सर्वोच्च न्यायालय निर्णय तारीख 3.5.1990)

12. **औद्योगिक महंगाई भत्ते का पैटर्न अपनाने का विकल्पः** तथापि कर्मचारियों को यह विकल्प होगा कि वे औद्योगिक महंगाई भत्ते का पैटर्न और सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित वेतनमानों को स्वेच्छा आधार पर अपना सकते हैं।

(सर्वोच्च न्यायालय निर्णय तारीख 3.5.1980)

13. **वेतनमानों के आबंटन में विसंगतियांः** यदि अभी अधिसूचित वेतनमानों के सामान्य पैटर्न से मौजूदा वेतनमानों की उपयुक्तता में विसंगतियां पाई जाती हैं तो संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम द्वारा स्थापित समिति इसकी समीक्षा कर सकती है और अपने एकीकृत वित्त विंग से परामर्श करके प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सूत्र तैयार कर सकती है।

(पैरा 8.20 पृ. 68)

14. **सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा पहले ही अदा की जा चुकी राशि का समायोजनः** सर्वोच्च न्यायालय/विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों के तहत केन्द्रीय महंगाई भत्ते का पैटर्न अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों द्वारा अंतरिम राहत, अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्त और तदर्थ महंगाई भत्ते और लेखागत अदायगी के तौर पर पहले ही अदा की जा चुकी राशि को इन आदेशों के तहत वेतन संशोधन के लाभों के हकदार कर्मचारियों को देय बकाया अदायगियों के प्रति समायोजित किया जाएगा।

15. भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त सूचना सीडीए पैटर्न का पालन करने वाले सभी सार्वजनिक उद्यमों को उनकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दें।

(12 जून, 1990 का कार्यालय ज्ञापन सं. 2(43)/20– डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.))